फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

राजेश कुमार आदि बनाम दानगर वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–147/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस वकील प्रार्थीगण दिनांक 22.10.19 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण के दादा नानूगर पुत्र मोमनगर जाति गुंसाई साकिन गोपालसर के नाम चक 2 आरजेएम के प0नं0 121/27 कि0नं0 1 ता 10/10.00 बीघा कमाण्ड व प0नं0 121/26 कि0न0 22–23 व 24/3.00 कमाण्ड कुल 13–00 बीघा कमाण्ड एस.एल. कृषि भूमि नानूगर पुत्र मोमनगर के नाम से मिसल संख्या 917/73 में दिनांक 25.11.1975 को एसीसी (आरसीपी) सूरतगढ़ के निर्णय की पालना में भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी, उक्त भूमि का तबादला प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में अंकित भूमि का ले लिया गया था। चक 2 आरजेएम की संयुक्त खाता संख्या 54 नई 58 पुरानी में मु.न. 48 प.नं. 121/50 कि.न. 10/2/0.228, 11/2/0.228, 20/2/0.228 में 0.684 है0 कमाण्ड व मु.नं. 49 प.नं. 121/42 कि.न. 15 ता 20/1.518 है., 21/1/0.251, 22/1/0.215, 23/1/ 0.215, 24/1/0.215, 25/1/0.215 में 2.593 है0 कमाण्ड कुल 3.277 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि हेतराम–मनीराम–दलीपगर–दानगर–गोमदगर पिसरान नानूगिर जाति गुंसाई साकिन रजाना ब0हि0ब0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता 1/5 हिस्सा यानि 0.6554 है0 कमाण्ड कृषि भूमि के अंकित हिस्सेदार व खातेदार है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता एवं उनके भाईयों को प्रार्थीगण के दादा नानूगर से विरास्तन प्राप्त हुई है। जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पति/कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने पिता होने की जिम्मेवारियों को कभी भी नही निभाया गया। प्रार्थीगण का पालन–पोषण व अन्य खर्चा हमारी स्व0 माता श्रीमति सावित्री के द्वारा ही प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में अंकित कृषि भूमि में काश्त कर और मेहनत मजदूरी कर किया जाता रहा था। प्रार्थीगण अपने पिता के नाम से प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में अंकित 1/5 हिस्सा यानि 0.6554 हैक्टेयर खातेदारी संयुक्त खाता की सम्पति कृषि भूमि में अपने जन्म से 2/3 हिस्सा यानि 0.437 है0 (रहन मुक्त) ब0हि0ब0 के विधिक रूप से अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 से अपने नाना के साथ जाने हेतु निवेदन किया तो वे इंकारी हो गये। उन्होने कहा की वे इस भूमि का बेचान किसी अजनबी को कर देगें।यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये प्रकरण में दिनांक 06.09.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा के निर्णय तक स्थाई की जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी व दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादाधीन भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 5 को विरास्तन प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में अंकित भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा बनता है या नही, यह दावा में निर्णय होगा। किन्तु यदि वादाधीन भूमि का अप्रार्थीगण ने किसी अन्य को बेचान कर दिया व मौका पर कब्जा किसी को सौंप दिया तो प्रार्थीगण को न पुरा होने वाला नुकसान होना संभावित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा.पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे चक 2 आरजेएम की संयुक्त खाता संख्या 54 नई 58 पुरानी में मु.न. 48 प.नं. 121/50 कि.न. 10/2/0.228, 11/2/0.228, 20/2/0.228 में 0.684 है0 कमाण्ड व मु.नं. 49 प.नं. 121/42 कि.न. 15 ता 20/1.518 है., 21/1/0.251, 22/1/0.215, 23/1/ 0.215, 24/1/0.215, 25/1/0.215 में 2.593 है0 कमाण्ड कुल 3.277 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता के 1/5 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा भूमि को वाद पत्र के निर्णय तक बेचान नही करे तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.13 11:49:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: